

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:—प.2(1672)डीओआईटी/संस्था/13/MC-221

जयपुर, दिनांक 2/6/16

कार्यालय आदेश

श्री त्रिलोकी नाथ शर्मा, प्रोग्रामर, कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर ने दिनांक 19.01.2016 को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने पद से त्यागपत्र स्वीकृत करने का निवेदन किया है।

श्री त्रिलोकी नाथ शर्मा, प्रोग्रामर, के विरुद्ध वर्तमान में कार्मिक विभाग में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत अनुशासनिक जाँच चल रही है। अनुशासनिक जाँच कार्यवाही लम्बित रहते हुए त्यागपत्र स्वीकार करने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा राज. सेवा नियमों के नियम 23 ए के तहत कार्यवाही करने की राय दी गई है। श्री त्रिलोकी नाथ शर्मा, प्रोग्रामर वर्तमान में परीवीक्षाधीन है, अतः श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांक 19.01.2016 को सेवा समाप्ति नोटिस के रूप में स्वीकार करते हुए राज. सेवा नियमों के नियम 23 ए के अन्तर्गत श्री त्रिलोकीनाथ शर्मा, प्रोग्रामर की सेवाएँ दिनांक 19.02.2016 से अविलम्ब प्रभाव से राजस्थान कम्प्यूटर राज्य सेवा से पृथक करते हुए समाप्त की जाती है।

उक्त आदेश कार्मिक (क-3/जांच) विभाग के अशा टीप प.9 (2) (04) कार्मिक/ क-3 /2016 दिनांक 25.05.2016 के अनुसरण में जारी किये जा रहें हैं।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

—sd—
(आशुतोष एम. देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:—

- 1 वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज. जयपुर।
- 2 उप शासन सचिव, कार्मिक (क-3/जांच) विभाग, शासन सचिवालय, को उनके अशा टीप प.9 (2) (04) कार्मिक/क-3/2016 दिनांक 25.05.2016 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि श्री त्रिलोकी नाथ शर्मा, प्रोग्रामर के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक जाँच समाप्त कर दी जावे।
- 3 उप शासन सचिव, कार्मिक-ग विभाग, सचिवालय, राज. जयपुर।
- 4 उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग, जयपुर।
- 5 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर
- 6 श्री त्रिलोकी नाथ शर्मा, 68/27, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट।

प्रभारी अधिकारी/संस्थापन